तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. /5916/2003/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम रामस्वरूप वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/1/2026	एकलपीठ श्री किशोर कुमार, सदस्य उपस्थित : श्रीमती अर्चना गौतम, राजकीय अभिभाषक। अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं —— आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), जयपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 25—09—2003 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बस्सी ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर(प्रथम), जयपुर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि एकीकरण खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2018 ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी में खसरा नं0 79 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. चाह भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर एहतमाम पुजारी बजरंगदास कौम ब्रा0 की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में राजसहाय पुत्र झूंथा, श्रवण पुत्र कुशला, भोरया, गोरया पि. चन्दरा, हरबक्श, नारायण, पूरा पि. मंगला, भौरीलाल, काना, कल्याण, छोटू पि. भुवाना, श्योजी, पि. मु. रामनाथ, भोमा, धन्ना, बिरधा, कल्याण पि. पांचू कौम मीना सा. देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी संवत् 2021—24 बनाते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मंदिर के बजाय कृषकगण के नाम दर्ज कर दी गई। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25—09—2003 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। विद्वान राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. /5916/2003/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम रामस्वरूप वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। एकतरफा कार्यवाहीं अमल में लाई गई। राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार एकीकरण खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2018 ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी में खसरा नं0 79 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. चाह भूमि माफी मन्दरी श्री सीतारामजी वाके जयपुर एहतमाम पुजारी बजरंगदास कौम ब्रा0 की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में राजसहाय पुत्र झूंथा, श्रवण पुत्र कुशला, भोरया, गोरया पि. चन्दरा, हरबक्श, नारायण, पूरा पि. मंगला, भौरीलाल, काना, कल्याण, छोटू पि. भुवाना, श्योजी, पि.मु. रामनाथ, भोमा, धन्ना, बिरधा, कल्याण पि. पांचू कौम मीना सा. देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी संवत् 2021–24 बनाते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मंदिर के बजाय कृषकगण के नाम दर्ज कर दी गई। माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. /5916/2003/जयपुर **राजस्थान सरकार बनाम रामस्वरूप वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संबंधित नामांतकरण निरस्त किये जाकर विवादित आराजी को पुनः ''माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर'' के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण के नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। (किशोर कुमार) सदस्य	